

मैन्यूअल-4

अनुच्छेद 4(1) (बी) (iv) इसके कार्य के निष्पादन के लिए मुख्यालय द्वारा निर्धारित

मानक :-

- अपना कार्य पूरी तत्परता, समर्पण एवं दक्षता के साथ करना ।
- उद्योग एवं उद्यमियों से मददगार के रूप में तथा सहानुभूति रखते हुए शिष्टतापूर्वक बातचीत करना ।
- उद्योग की समस्याओं को समझने एवं सुलझाने के लिए गम्भीरतापूर्वक प्रयत्न करना एवं इन समस्याओं के निवारण के लिए तत्काल कदम उठाना ।
- सरकार एवं उद्योग के मध्य प्रभावी इन्टरफेस का कार्य करना जिससे उद्योग वृंद अपने आप ही हमारी मदद एवं सहायता प्राप्त करने के लिए आकृष्ट हो ।
- निरन्तर प्रयत्न करें कि हमारे कार्य एवं निर्णय सकारात्मक, पारदर्शी एवं समयबद्ध हों ।

इनमें से निम्न कुछ मानक प्रचलन में हैं :-

(1) मंत्रालय से टिप्पणी हेतु प्राप्त होने वाले आई. एम संदर्भों (रेफरेन्स) को तीन सप्ताह के भीतर निपटाया जा रहा है ।

(!!) बैंक गारन्टी अपील संबंधी मामले सामान्यतः 3 माह के भीतर निपटाये जा रहे हैं ।

(!!!) क्षेत्रीय कार्यालयों एवं विद्युत करघा सेवा केन्द्रों के मानक/लक्ष्य निम्नवत है :-

